




करे अहवाल

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर

सीताराम शर्मा बनाम रामछन्द अधिकारी जयपुर द्वितीय व अन्य

केस संख्या : 584 / 2025 (मुन्सिफ प्रार्थना पत्र)

दिनांक आज का कार्यवाही	आज का विस्तृत काम	विशेष टिप्पण
11.08.2025	<p>दरखास्तगुजार ने रामछन्द अधिकारी जयपुर द्वितीय, जिला जयपुर के समक्ष विधायकीन प्रकरण संख्या प्रकरण संख्या 193/2023 एवं टी आई प्रार्थना पत्र संख्या 168/2023 व-उनवानी सीताराम व अन्य बनाम चौधमल व अन्य से सम्बन्धित पत्रावली को पीठासीन अधिकारी से न्याय मिलने में शंका जाहिर कर उक्त प्रकरण को दीगर न्यायालय में मुन्सिफित किये जाने का अनुरोध किया है। रामछन्द अधिकारी जयपुर द्वितीय, जिला जयपुर से बिन्दुवार टिप्पणी तलब हो। प्रकरण दर्ज रजिस्टर हो। नोटिस विपक्षीयण के रजिस्टर्ड जाये हो। पत्रावली दिनांक 15.09.2025 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;"> जिला कलक्टर जयपुर</p>	
15 ⁹ / ₂₅	<p>पत्रावली पेश हुई वकील पार्थी उषा टिप्पणी करता है अर्थात् स.प. की कोर से सी मनेज सि.प. ने प.प. पेश की शिक अर्थात् प.प. की तलबी हेतु रजि. नोटिस पेश करने पर जारी कर पत्रावली दिनांक 29-9-25 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;"> जिला कलक्टर जयपुर</p>	<p>P.T. dated 15/9/25 Defendant 15 4 Mansingh</p>
29 ⁹ / ₂₅	<p>पत्रावली पेश हुई वकील पार्थी उषा वकील अपार्थी सं. 5 प.प. उषा वकील पार्थी ने अनुरोध कराया कि उपरवर्त अधिकारी जयपुर द्वितीय के पीठासीन अधिकारी श्री हिम्मत सिंह R.S. का अन्वय स्थानान्तरण हो गया है, अतः उनके विरुद्ध प्रस्तुत मुंठकिल प्रार्थना पत्र स्वतः ही प्रभावशून्य (INFRACTUOUS) हो चुका है। अतः पार्थी द्वारा प्रस्तुत मुंठकिल प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। पत्रावली पेश करने वाला श्री श.प. शर्मा-शेकर दर्ज नम्बर से कम है।</p> <p style="text-align: center;"> जिला कलक्टर जयपुर</p>	